

न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर
विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 18 / 2023(GCMS 2023/170)

सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री परमानन्द बवेजा जाति अरोड़ा आयु लगभग 72 वर्ष निवासी
85 सी ब्लॉक, वार्ड संख्या 18, नजदीक नेहरू पार्क, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि, 191 कोर्ट रोड नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, अनुमानगढ़ जंक्शन (राजस्थान)
2. सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर, भारतमाला परियोजना पैकेज-6 (पार्ट-1)
3. भारत संघ जरिये सचिव, सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग विभाग, नई दिल्ली



25.06.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा का कथन है कि आवेदक के नाम से तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के चक 1 एफ ए का खाता संख्या 97, मुरब्बा नम्बर 34 का किला नम्बर 18 में 0.075 है., 19 सालम, 20 में 0.178 है. तादादी कुल 0.506 है. नहरी भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त भूमि के किला नम्बर 20 की 0.1725 है. भूमि में मौका पर प्रार्थी का स्वज्योत इन्टरनेशनल स्कूल का भवन बना हुआ है एवं स्कूल भवन के साथ कार्यालय कक्ष, खेलकूद का मैदान, 21 कमरे, बरामदा, ईमारत साईज 142 फीट गुणा 100 फीट, झूलों का स्थान पक्के आर.सी. सी. निर्मित है इसके अलावा कार्यालय ब्लॉक के अतिरिक्त 3 कमरे पैमायशी 44 फीट गुणा 20 फीट, मेन गेट के पास गॉर्ड रूम बने हुए है तथा मौका पर सी.सी. टी.वी. कैमरे भी लगे हुए है तथा मौका पर भूमि में खजूर के फल देने वाले पेड़ लगे हुए है। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि कृषि भूमि पर निर्मित

आर्बीट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भवन की भूमि के, जो कि लगभग एक बीघा है, रूपान्तरण शुल्क की राशि प्रार्थी की ओर से राजकीय कोष में जमा करवायी हुई है एवं प्रार्थी की. उक्त भूमि गजसिंहपुर रोड़ पर श्रीकरणपुर से महज चन्द फासलों पर स्थित है। इसलिए प्रार्थी की भूमि के वाणिज्यिक विभव की होने का भली प्रकार से आंकलन कर भूमि के वाणिज्यिक विभव की होने, गजसिंहपुर रोड़ पर नगरपालिका के पैराफरी ऐरिया में होने तथा श्रीकरणपुर शहर के समीप होने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण करने की प्रार्थना की है।


उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 31.08.2018 को राजपत्र में किया जाकर दिनांक 21.09.2018 को समाचार पत्र सीमा संदेश एवं दैनिक भास्कर किन्दी प्रारूप में अवाप्त की जा रही भूमि के सम्बन्ध में आक्षेप की मांग की गई, जिस पर आवेदन के द्वारा पुनः मुआवजा राशि के संदर्भ में युक्तियुक्त आक्षेप मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी ने प्रार्थी के आक्षेपों को नजरअन्दाज करते हुए आवेदक की भूमि चक 1 एफए का मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20 की 0.1725 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गयी एवं इस भूमि अवाप्ति के मुआवजे का अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को जारी करते हुए, अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि अधिग्रहण विधि की मंशा के विरुद्ध राशि निर्धारित कर आवेदक को दिया जाना तय किया गया तथा पारित अवार्ड के अधीन दिनांक 23.06.2022 को अवाप्त की गयी प्रार्थी की भूमि में से कम कर दी गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के समय पारित किये जाने वाले अवार्ड में अधिग्रहित की जा रही भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण करने के सन्दर्भ में दिये गये दिशा निर्देशों को नजरअन्दाज करते हुए, भूमि की किस्म की गलत व्याख्या कर बाजार मूल्य के हिसाब से कम मुआवजा राशि निर्धारित कर अवार्ड पारित किया गया है।

10-14
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने समक्ष उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एवं विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने मनमाफिक एवं अधूरे विवेकानुसार दिनांक 26.05.2021 को अवाप्त की जा रही इस सौदा की सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा 8,97,40,792.60/-रूपये (अखरे रूपये आठ करोड़ सतानवें लाख चालीस हजार सात सौ बानवे रूपये साठ पैसे मात्र) निर्धारित करते हुए उसकी अधिग्रहित की जा रही भूमि की मुआवजा राशि 3,69,767/- रूपये निर्धारित करते हुए बिना इस भूमि पर अवस्थित संरचना, नुकसान, पेड़ पौधों का मुआवजा दिये अवॉर्ड जारी कर उक्त राशि आवेदक के बैंक खाता में अन्तरित की जो आवेदक के द्वारा राशि प्राप्त करने से पूर्व मांगी गयी दस्तावेजी औपचारिकता में स्पष्ट तौर पर यह अंकित करते हुए कि मुआवजा राशि अत्यधिक न्यून दी गयी है जिसके सन्दर्भ में आवेदक अपनी विधिक कार्यवाही करेगा इसलिये अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए मुआवजा राशि का भुगतान किया जावे एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा आवेदक को अन्डर प्रोटेस्ट राशि का भुगतान किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के द्वारा दिनांक 26.05.2021 को अवॉर्ड पारित करते हुए इस अवॉर्ड से आवेदक की अवाप्त की गयी भूमि की मुआवजा राशि अत्यधिक न्यून बिना किसी युक्तियुक्त आधार के एवं राईट टू फेयर कम्पनसैशन एक्ट, 2013 के प्रावधानों के विपरीत जाकर अधिग्रहित की जा रही भूमि के बाजार दर एवं उसकी उपयोगिता तथा मौका को नजर अन्दाज करते हुए निर्धारित की गयी है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम एवं राईट टू फेयर कम्पनसैशन एक्ट, 2013 के प्रावधानों एवं मंशा के प्रतिकूल बाजार भाव का बिना किसी आधार पर एवं मनमाफिक भूमि का भाव आरोपित कर अवॉर्ड दिनांक 26.05.2021 पारित किया गया है जो उपलब्ध रिकॉर्ड के प्रतिकूल एवं असमानता के आधार पर पारित हुआ होने के कारण आवेदक की हद तक अपास्त किया जाकर उचित एवं विधिसम्मत मुआवजा राशि आवेदक को दिलाये जाने हेतु आर्बिट्रेटर अवॉर्ड पारित किये जाने योग्य है।


आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि आवेदक की अवाप्त की गयी भूमि गजसिंहपुर रोड़ पर श्रीकरणपुर शहर से महज चंद फासलों की दूरी पर स्थित है जिस पर मौका पर करोड़ों रुपये की बिलडंग बनी हुई है एवं स्कूल संचालित हो रहा है इसके अलावा उक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि पैराफेरी ऐरिया में आती है जिसका उपयोग उपभोग वाणिज्यिक है एवं इस सम्बन्ध में भू रूपान्तरण की कार्यवाही अधिसूचना की दिनांक के पूर्व से विचाराधीन है फलस्वरूप अधिग्रहित की जा रही भूमि का उपयोग उपभोग एवं भविष्य में भावों में बढ़ोतरी होने की संभावना के मध्यनजर वाणिज्यिक विभव की होने के कारण मुआवजा की दर भूमि के वाणिज्यिक विभव हेतु मौका पर अवस्थित सम्पतियों के सन् 2018 के बाजार भाव के अनुसार लगभग 11349/-रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से होने के कारण, जो कि ज्ञान ज्योति महाविद्यालय की रिपोर्ट से समर्थित दर है, अधिग्रहित की जा रही भूमि का मुआवजा राईट टू फेयर एण्ड कम्पनसैशन एक्ट 2013 की मंशा के अनुरूप फ़ैक्टर अधिरोपित करते हुए उक्त दर से बाजार दर निर्धारित कर अवॉर्ड पारित किया जाना चाहिये था लेकिन अनावेदक संख्या 2 के द्वारा अविधिक ढंग से उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अवॉर्ड दिनांक 26.05.2021 पारित किया गया है जो आवेदक की हद तक संशोधित किया जाकर आर्बिट्रेटर अवॉर्ड पारित किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की अवाप्त भूमि के पास में ही ज्ञान ज्योति महाविद्यालय है जो कि कृषि भूमि पर बना हुआ है एवं उक्त कॉलेज के द्वारा भू परिवर्तन के लिए कोई भी शुल्क जमा नहीं करवाया हुआ है। इस कॉलेज की भूमि का आंकलन सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रीगंगानगर के द्वारा राज्य सरकार से विधिनुसार लाभ प्राप्त करने के आशय से किया गया जो कि मूल्यांकन लगभग बाईस करोड़ चौदह लाख सैन्तालिस हजार पांच सौ सत्तर रुपये भूमि एवं निर्माण

20-15
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

का आया। उक्त कॉलेज श्रीकरणपुर के मेन बस स्टैन्ड से एक से सवा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं प्रार्थी की अधिग्रहित की गयी भूमि बस स्टैन्ड से लगभग 900 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं उक्त कॉलेज की भूमि से ज्यादा उपयोगी एवं वाणिज्यिक विभव की है लेकिन उपरोक्त तमाम तथ्यों को नजरअन्दाज कर अवॉर्ड दिनांक 26.05.2021 पारित किया गया है जो कि उक्तानुसार आवेदकगण की हद तक संशोधित किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की अधिग्रहित की गयी भूमि के सन्दर्भ में राजस्व पटवारी के द्वारा मौका पर प्रार्थी के ब्यान लिये जाकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें भी भूमि का मूल्यांकन बाजार दर के अनुसार लगभग 50 लाख रूप्ये प्रति बीघा का आंका जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। रिपोर्ट भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अवॉर्ड पारित करने से पूर्व उपलब्ध थी, लेकिन उक्त रिपोर्ट एवं वास्तविकता को नजरअन्दाज किया जाकर अवॉर्ड पारित किया गया है जो कि आवेदक की हद तक आर्बिट्रेटर अवॉर्ड पारित किया जाकर संशोधित किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की भूमि पर अवस्थित स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी के नियमों से शासित होता है तथा इसे सी.बी.एस.ई से मान्यता दिलवाने के लिए प्रार्थी की कार्यवाही विचाराधीन है एवं सी.बी.एस.ई से मान्यता प्राप्त करने के लिए नियमों के तहत कम से कम दो बीघा भूमि होनी आवश्यक है। अधिग्रहित भूमि के उपरान्त प्रार्थी के पास महज एक बीघा के करीब भूमि शेष रह जायेगी। इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रावधान लागू होने पर इस एक बीघा की भूमि का रूपान्तरण भी संभव नहीं होगा जिसके कारण न तो प्रार्थी को सी.बी.एस.ई से मान्यता प्राप्त होगी एवं ना ही प्रार्थी स्कूल चला पायेगा तथा ना ही सडक के मध्य से 75 मीटर तक निर्माण प्रतिबन्धित होने के कारण अन्य किसी प्रयोजनार्थ उपयोग


आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कर पायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के समक्ष आजीवीका का संकट उत्पन्न होगा। प्रार्थी चल रहे स्कूल के माध्यम से और भी अधिक उन्नति कर सकता था क्योंकि स्कूल की गुडविल काफी अच्छी थी जिसका अधिग्रहण से प्रार्थी को नुकसान हुआ है। उक्त तथ्य भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष स्पष्ट थे ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अवॉर्ड में मुआवजा राशि निर्धारित करते समय भूमि अर्जन पुर्नवासन ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत समुचित व्यवस्था कायम करते हुए अवॉर्ड पारित किया जाना चाहिये था जो कि नहीं किया गया इसलिये माननीय आर्बिट्रेटर के द्वारा पुर्नविचार किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की भूमि अधिग्रहित किये जाने के उपरान्त अधिग्रहित की गयी भूमि के साथ आवेदक की मौका पर बिना अधिग्रहण किये शेष रही भूमि अनुपयुक्त हो गयी है एवं शेष रही भूमि अनुपयोगी भूमि की परिभाषा में आती है क्योंकि मौका पर सडक का उंचा निर्माण होने से इस भूमि पर न तो स्कूल संचालित हो सकता है एवं ना ही इसका किसी भी प्रकार से उपयोग एवं उपभोग हो सकता है एवं ना ही इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रावधानों के तहत 75 मीटर तक निर्माण प्रतिबन्धित होने के कारण इस भूमि का रूपान्तरण ही अन्य प्रयोजनार्थ हो सकता है। अनावेदक की ओर से यह भूमि बिना मुआवजा दिये आवेदक के लिए बेकार एवं अनुपयोगी हो गयी जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी को इस सम्बन्ध में अनुपयोगी हो चुकी भूमि का मुआवजा भी परिस्थितियों अनुसार आवेदक को दिये जाने हेतु अवॉर्ड पारित किया जाना चाहिये था लेकिन आवेदक की भूमि अधिग्रहित करते हुए अनुपयोगी हुई भूमि का भी कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है इसलिये आवेदक अनुपयोगी भूमि का मुआवजा भी ग्यारह हजार तीन सौ उन्चास रूप्ये प्रति वर्गमीटर की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है।

9014
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति द्वारा अवॉर्ड दिनांक 26.05.2021 पारित करने से पूर्व न तो समुचित तथ्यों को ध्यान में रख अधिग्रहित की गयी भूमि का बाजार दर का निर्धारण किया एवं ना ही अधिनियम की मंशा अनुसार आवेदक को हुए नुकसान का भली प्रकार से आंकलन कर मुआवजा राशि का निर्धारण ही किया गया जबकि परिस्थितियों अनुसार याचिका में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी अपनी समस्त दो बीघा भूमि का यथानुसार मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिये अवॉर्ड दिनांक 26.05.2021 आवेदक की हद तक संशोधित किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में अवाप्त भूमि कृषि नहरी भूमि है, जो नियमानुसार कृषि से अकृषिक प्रयोनार्थ वाणिज्यिक रूपान्तरित भूमि नहीं है। आवेदक के कथनानुसार भी भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत आवेदक की नहरी भूमि अवाप्त की गई है, जो कि कृषि भूमि है, लेकिन आवेदक इस प्रार्थना पत्र में अवाप्त कृषि भूमि के मुआवजे की मांग अवैधानिक वाणिज्यिक दर 11349/- रु. प्रति वर्गमीटर बताकर कर रहा है, जो नियमानुसार अवाप्त कृषि भूमि की दर नहीं है व ना ही अवाप्त कृषि भूमि पर लागू होती है। अतः आवेदक द्वारा चाहा गया अनुतोष विधिसम्मत नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने ग्राम चक 1 एफ.ए. के खाता संख्या 97, मुरब्बा नं. 34 किला नं. 18 में 0.075 है., किला नं. 19 सालम व किला नं. 20 में 0.178 है., तादादी कुल 0.506 है., की नहरी भूमि स्वयं के नाम दर्ज होने के संबंध में कहे गये कथन राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है। आवेदक ने बिना विधिक अनुमति के कृषि भूमि पर रवज्योत इन्टरनेशनल स्कूल का भवन मय कमरे, खेल मैदान, बरामदे आदि का निर्माण विधि विरुद्ध किया है। आवेदक की प्रश्नगत अवाप्त

10/14

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भूमि पर रोपित पेड़-पौधे नियम विरुद्ध है। प्रार्थी ने कृषि भूमि पर निर्मित भवन के रूपांतरण शुल्क की राशि जमा करवाई हुई है, जिससे ही जाहिर होता है कि प्रश्नगत अवाप्त कृषि भूमि अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 तक रूपान्तरित भूमि नहीं थी। आवेदक ने बिना विधिवत रूपान्तरित करवाये अत्यधिक रबके की कृषि भूमि पर स्कूल मय कमरे, बरामदे, कार्यालय आदि का निर्माण किया है, जो कि विधि विरुद्ध है। राजकोष में रूपान्तरित शुल्क जमा करवाने मात्र से ही कृषि भूमि का गैर कृषिक उपयोग हेतु रूपान्तरण नहीं हो जाता है। आवेदक ने रूपान्तरित शुल्क जमा कराये जाने से संबंधित दस्तावेज, शुल्क रसीद आदि की प्रति जवाबदाता को उपलब्ध नहीं करवायी है, ना ही मध्यस्थ पत्रावली पर प्रस्तुत की है। ऐसे में आवेदक द्वारा कहे गये कथन मिथ्या साबित होते हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी अवाप्त भूमि के अवार्ड दिनांक 26.05.2021 से संबंधित है, ना कि अवाप्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अवार्ड से संबंधित है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने परिसम्पत्तियों का पृथक से दिनांक 24.06.2022 को अवार्ड पारित किया है, जिसे आवेदक व जवाबदाता द्वारा पृथक से चुनौती दी हुई है, इसलिये आवेदक द्वारा इस प्रस्तुत प्रकरण में परिसम्पत्तियों के संबंध में कहे गये कथन सारहीन होने से विचारणीय नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवाप्त भूमि के उक्त अवार्ड में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार धारा 26 (1) के अनुसार प्रचलित दर, धारा 26 (2) के तहत राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के तहत फ़ैक्टर 1.25 का लाभ, धारा 30 (1) के अनुसार 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि व धारा 30 (3) के अनुसार भूमि के मूल बाजार मूल्य पर भूमि

10/14
आबिट्रैटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अवार्ड पारित होने तक 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि, ब्याज स्वरूप आवेदक को दी गयी है। इस प्रकार आवेदक के हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानानुसार अधिकतम मुआवजा निर्धारित करते हुए समस्त लाभ दिये गये हैं, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा अवाप्त भूमि को गजसिंहपुर रोड़, पैराफेरी एरिया, बस अड्डा, आवासीय कॉलोनी, कॉलेज, धर्मकांटा, अन्य स्कूल आदि के पास बताकर सम्परिवर्तन नहीं होने के बावजूद भी वाणिज्यिक दर से अवाप्त भूमि की अवैधानिक मुआवजे की मांग कर रहा है, जो कि सरासर गलत व नियम विरुद्ध होने से कतई स्वीकार व देय नहीं है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि अनावेदक संख्या 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लिया जाकर सुनवाई बाद निस्तारण करने के उपरान्त आगामी कार्यवाही करते हुए भूमि अवार्ड पारित किया गया है। गजसिंहपुर रोड़, पैराफेरी एरिया, बस अड्डा, आवासीय कॉलोनी, कॉलेज, धर्मकांटा, अन्य स्कूल आदि के पास भूमि स्थित होने से भूमि वाणिज्यिक की नहीं हो जाती है। वाणिज्यिक उपयोग हेतु नियमानुसार भूमि को सम्परिवर्तन करना होता है। वर्तमान में भी गजसिंहपुर रोड़, पैराफेरी एरिया, बस अड्डा, आवासीय कॉलोनी, कॉलेज कॉलेज, धर्मकांटा, अन्य स्कूल आदि के आस-पास की कृषि भूमियों को निरन्त कृषि कार्य हेतु ही उपयोग में लिया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रत्येक कृषि भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा गठित की गई जिला स्तरीय समीति द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्रों व अन्य दस्तावेजों इत्यादि के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिस ग्राम की जिस किरम की भूमि है, उसका बाजार मूल्य उसी आधार पर निर्धारित

१०/१५
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

किया जाता है। यहाँ यह लिखना भी उचित होगा कि बाजार मूल्य निर्धारित करने से पूर्व बेचान पत्रों के साथ भूमि की, किरम, शहर व सडक से दूरी इत्यादि का मूल्यांकन राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के अनुसरण में किया जाता है, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि बाजार मूल्य व डी.एल.सी. दर में किसी प्रकार की भिन्नता हो।

उनका आगे यह भी कथन है जिला स्तरीय समिति द्वारा ही बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जो कि वास्तविक बाजार मूल्य कहलाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की दिनांक 11.04.2018 को अवाप्त नहरी कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर 7,45,560/- रु. प्रति हैक्टेयर को उपयोग में लेकर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड पारित किया गया है, जो कि नियमानुसार सही होने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) (ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना को प्रचलित दर के अनुसार अवाप्त भूमि की अधिकतम मुआवजा राशि का निर्धारण आवेदक के हित में विधि अनुसार किया है। इसलिए प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि पटवारी ने यह रिपोर्ट मिलीभगत करके तैयार की है, क्योंकि पटवारी ने उक्त रिपोर्ट में ऐसे तथ्य अंकित किये हैं जो मौके की स्थिति के अनुसार नहीं हैं व आवेदक को फायदा पहुंचाते हैं। उक्त रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं है कि पटवारी ने किस अधिकारी के आदेश से यह रिपोर्ट तैयार

Me 14
आबिट्टर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की है। उक्त रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में पटवारी के पास कोई विधिक आधार नहीं थे। पटवारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रश्नगत कृषि भूमि का बाजार मूल्य 50 लाख रुपये आंका जाकर जो एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार की है, वह सरासर विधि विरुद्ध होने से कतई विचारणीय नहीं है। कृषि भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण करने का कानूनन अधिकार राज्य सरकार/जिला स्तरीय समिति को प्राप्त है, ना कि पटवारी को प्राप्त है, इसीलिए पटवारी की उक्त रिपोर्ट विधि विरुद्ध होने से कतई विचारणीय नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) द्वारा पटवारी की तैयार अवैधानिक रिपोर्ट के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया जाना सही है। सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) ने धारा 3ए की अधिसूचना को प्रचलित दर के अनुसार अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड पारित किया है, जो कि विधि अनुसार होने से कतई हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अवाप्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, ना कि परिसम्पत्तियों के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, ऐसी दशा में अवाप्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मुआवजे के संबंध में कहे गये कथन इस प्रकरण में सारहीन होने से विचारणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा अवाप्त भूमि पर रोपित पेड़-पौधे नियम विरुद्ध थे, जिनकी सहायक निदेशक उद्यान प्रीति बाला द्वारा अत्यधिक मुआवजा राशि की मूल्यांकन रिपोर्ट विधि विरुद्ध तैयार की गई है। परिसम्पत्तियों के अवार्ड को निरस्त/संशोधित करवाये जाने बाबत जवाबदाता द्वारा मजबूत विस्तृत ठोस आधारों पर माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है। राज्य स्तरीय कमेटी, जिसमें सहायक निदेशक उद्यान प्रीति बाला स्वयं सम्मिलित थी, ने भी आवेदक के पेड़-पौधों को नियम विरुद्ध माना है।

10-14
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए व 3डी के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर विचार विमर्श कर निस्तारण करने के उपरान्त धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना को प्रचलित दर को ध्यान में रखते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि की गणना कर भूमि अवार्ड पारित किया गया है, जो कि नियमानुसार होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की अवाप्त भूमि के बाद शेष बची भूमि अनुपयोगी नहीं होकर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होने से अत्यधिक मूल्यवान भूमि हो गई है। आवेदक अवाप्त भूमि से शेष बची भूमि को नियमानुसार उपयोग-उपभोग में लेने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी को होने वाली क्षति स्वरूप आवेदक को अवाप्त भूमि की प्रचलित दर के अलावा भी फेक्टर 1.25 की राशि, अतिरिक्त 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि, भूमि की मूल राशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मुआवजा स्वरूप दी गई है, जिससे आवेदक के हितों की पूर्ण रक्षा होती है। आवेदक ने उक्त मद के अंत में स्वयं को अनुचित एवं अवैध लाभ पहुंचाने की नीयत से अपने मनमुताबित राशि 11,349/- रु. प्रति वर्गमीटर के हिसाब से अवाप्त भूमि के मुआवजे की मांग कर रहा है, जो कि स्वीकार व देय नहीं है, क्योंकि उक्त राशि अवाप्त भूमि की नहीं है, अर्थात् धारा 3ए की अधिसूचना को उक्त राशि अवाप्त भूमि पर लागू नहीं थी। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 व भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित

(Monsu)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का पूर्ण ध्यान रखते हुए आवेदक की अवाप्त भूमि की नुकसानी का पूर्ण आंकलन कर धारा 3ए की अधिसूचना को प्रचलित दर को उपयोग में लेकर दिनांक 26.05.2021 को भूमि अवाई जारी किया गया है, जो कि नियमानुसार होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैंने, पत्रावली, उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।

राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर में भारतमाला परियोजना पैकेज-6 (पार्ट-1) के श्रीगंगानगर (एनएच-62) साधुवाली-जैड माईनर श्रीकरणपुर- गजसिंहपुर -रायसिंहनगर के दो/चार लेन पेव्ड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने व लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3A. Power to acquire land, etc, -

- (1) Where the central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof it may, by notification in the official gazette, declare its intention to acquire such land.
- (2) Every notification under sub section (1) shall give a brief description of the land.
- (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर


सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के पृष्ठ संख्या 2 बिन्दु संख्या 1 व 2 में निम्नानुसार अंकित किया है :

1. लोक सूचना के लिए उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 (अ) का दिनांक 02.04.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में सीमा सन्देश व राजस्थान पत्रिका हिन्दी प्रारूप में दिनांक 11.04.2018 को इस आशय से प्रकाशित करवाया गया कि प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत हितबद्ध खातेदार, काश्तकार/पक्षकारान अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में यदि उनका कोई दावा/आक्षेप हो तो, वे उसे निर्धारित समयावधि 21 दिनों में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में प्रभावित खातेदारों की ओर से कुल प्राप्त 9 आपत्तियों को रिकार्ड पर लिया गया तथा प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की जाकर निस्तारण किया गया।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(डी) के तहत भूमि अवाप्ति की अधिसूचना संख्या का.आ. 4291(अ) का दिनांक 31.08.2018 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग द्वितीय खण्ड तीन उपखण्ड (ii) में प्रकाशन किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3C Hearing of Objections

1. Any Person interested in the land may, within twenty-one days from the date of publication of the notification under sub section (1) of section 3A, object to the use of the land for the purpose or purpose mentioned in that sub-section
2. Every objection under sub section (1) shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections
Explanation : for the purpose of this sub- section "legal practitioner has the same meaning as in clause (i) of sub-section(1) of Section 2 of the Advocate Act 1961 (25 of 1961)
3. Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final."


 आर्बिटर एवं जिला कलक्टर
 श्रीगंगानगर

धारा 3ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत जो भी आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गईं, उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवार्ड दिनांक 26.05.2021 जारी होने के पश्चात प्रार्थी द्वारा आपत्तिया पेश की गई है, जबकि प्रार्थी को अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 (अ) का दिनांक 02.04.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में सीमा सन्देश व राजस्थान पत्रिका हिन्दी प्रारूप में दिनांक 11.04.2018 को प्रकाशित करवाया गया। अधिसूचना प्रकाशन के 21 दिनों में, काश्तकारों को अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में अपना आक्षेप हो तो वे उसे निर्धारित समयावधि 21 दिनों में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। प्रार्थी का यह कथन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आक्षेपों के संदर्भ में समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए आवेदक की भूमि अवाप्त की गई है, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के पृष्ठ संख्या 5 बिन्दु संख्या 3 व 4 में निम्नानुसार अंकित किया है :


3. भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची के क्रम संख्या 1 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु धारा 26(1)(क) के अन्तर्गत उप पंजीयक से डीएलसी अनुमोदित दरें प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम की प्रथम सूची के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। उक्त पहली अनुसूची के क्रम संख्या 2 में शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य का कारक (Factor) से गुणित किया गया

(सि. 14)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

है। जिसमें समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार कारक (Factor) से गुणित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3(ड)(i) अनुसार किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से तात्पर्य इस परियोजना में राजस्थान सरकार से है। इसलिए संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प-1(3)राज.6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 इस प्रकरण पर लागू होती है, कारक निर्धारण हेतु ग्रामों की दूरी शहरी सीमा क्षेत्र के अन्तिम बिन्दु से Radial दूरी के अनुसार किया गया है। अवाई निर्धारण में आने वाले ग्राम (1) IFA (2) 12 O (3) 46 F में कारक (Factor) 1.25 (0 से 10 कि.मी.) एवं ग्राम (4) 44 F (5) 5 O (6) 6O-A (7) 6O-B (8) 9W में कारक (Factor) 1.50 (10 से 20 कि.मी.) में आने के कारण लागू होगा।

4. भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 के अनुसार बाजार मूल्य के समतुल्य तोषण की राशि निर्धारित की जा रही है।

सक्षम प्राधिकारी के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि डी.एल.सी. दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है और प्रार्थी को डी.एल.सी. दरों के अनुरूप ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक एफ. 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 में दिये गये निर्देशानुसार, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई दरें ही वास्तविक बाजार मूल्य होती हैं। इसलिए प्रार्थी का यह कथन की प्रार्थी की अधिगृहित भूमि के आगे मैरिज पैलेस, आरा, धर्मकांटा, आदर्श विद्या मन्दिर स्कूल, एस.वी.एम. स्कूल तथा गणमान्य लोगों के निवास स्थान है। प्रार्थी की भूमि पूर्ण रूप से शहरी आबादी के


आबिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अन्दर और प्रार्थी की भूमि पूर्ण रूप से शहरी आबादी के अन्दर और वाणिज्यिक उपयोग की है, जिसका लगभग बाजार मूल्य 70 से 80 लाख रुपये प्रति बीघा है। जबकि प्रार्थी की भूमि अधिसूचना दिनांक को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की गई, जो सही है। अतः प्रार्थी को उसकी भूमि का मुआवजा 70 से 80 लाख रुपये प्रति बीघा निर्धारित कर दिये जाने का बिन्दु खारिज किया जाता है।


संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा जारी अधिसूचना निम्नानुसार अवलोकनीय है:

अधिसूचना

भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 26 की उप-धारा (2) सपठित प्रथम अनुसूचि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज-6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारित हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह गुणक निम्ना अनुसार होगा :

शहरी क्षेत्र से दूरी	गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे
0-10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

स्पष्टीकरण - जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरणों से भिन्न शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका सीमा तक के क्षेत्र जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन के समस्त वार्ड क्षेत्र सम्मिलित है, को शहरी क्षेत्र सीमा में माना जावेगा।



आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण उक्त अधिसूचना में दिये गये कारक(Factor) के अनुसार ही दिया जाना है जबकि प्रार्थी ने अपनी बहस में पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग से राशि दिये जाने की मांग की है, जो सही नहीं है क्योंकि प्रार्थी को उक्त कारक(Factor) के अनुसार की राशि निर्धारित कर भुगतान किया गया है। इसलिए प्रार्थी का पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग राशि दिये जाने बिन्दु खारिज किया जाता है, साथ ही प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि किस्म यथा औद्योगिक/वाणिज्य/कृषि के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना निर्धारित डीएलसी दर (बाज़ार मूल्य) के आधार पर की गई है तथा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार निर्धारित कारक(Factor) से गुणक राशि एवं उक्त दोनों राशि के बराबर 100 प्रतिशत अतिरिक्त तोषण (Solatium) राशि (धारा 30 के अधीन) एवं धारा 30(3) के तहत बाजार मूल्य(डीएलसी) पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज(अवार्ड दिनांक तक) की गणना कर दी गई मुआवजा राशि सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। इस प्रकरण में प्रस्तुत अन्य समस्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते हैं।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति कम्प्यूटेंट अथोरिटी एंड एक्युजिशन उपखण्ड अधिकारी करणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जु)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर